अफगानिस्तान में बम धमाके में आठ लोगों की मौत, 47 घायल

काबुल, 13 मार्च (एपी)।

अफगानिस्तान के पश्चिमी हेरात प्रांत में एक कार बम धमाके में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 47 अन्य लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में खतरनाक वृद्धि की निंदा की।

प्रांत के अस्पताल के प्रवक्ता रफीक शेरजई ने शनिवार को बताया कि घायल हुए कुछ लोगों की हालत गंभीर है जिससे मृतक संख्या बढ़ने की आशंका हैं। इस विस्फोट में 14 घर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक अरियान ने बताया कि मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है, वहीं हमले में अफगान सुरक्षा बल के 11 कर्मी भी घायल हुए हैं। इस धमाके की अबतक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी

ढाका, 13 मार्च (भाषा)।

बांग्लादेश की पाकिस्तान से आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर इस माह आयोजित होने वाले समारोहों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। साथ ही समारोह में नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव की सरकारों के प्रमुखों सहित विश्व के कई नेता हिस्सा लेंगे।

1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के बाद पाकिस्तान से देश को आजादी मिलने की 50वीं वर्षगांठ पर 17 से 27 मार्च तक विभिन्न समारोहों का आयोजन किया जाना है।

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह 17 मार्च को तीन दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचने वाले पहले शीर्ष विदेशी गणमान्य अतिथि होंगे। इसके बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं, जो 19 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर ढाका आएंगे। नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी 22 मार्च से दो दिवसीय दौरे पर ढाका में रहेंगी, जबकि भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग 24 मार्च से 25 मार्च तक देश में रहेंगे।

26 मार्च को दो दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश रवाना होंगे

प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर 26 मार्च को आएंगे और मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह मौका बांग्लादेश-भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का भी होगा।

फ्लॉयड का परिवार 2.7 करोड़ डॉलर के समझौते पर सहमत

मिनियापोलिस (अमेरिका), 13 मार्च (एपी)।

पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत व्यक्ति की मौत के मामले में मिनियापोलिस सिटी काउंसिल उसके परिवार को 2.7 करोड़ डॉलर अदा करने के समझौते पर सहमत हुई है।

काउंसिल के सदस्यों ने मामले में फ्लॉयड के परिवार के नागरिक अधिकार दावे का निस्तारण करने के लिए अलग बैठक की और फिर वे आमसहमति से लिए गए निर्णय के साथ इस रकम की घोषणा करने के लिए अदालत कक्ष में लौटें।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 25 मई को एक तत्कालीन श्वेत अधिकारी डेरेक चाउविन ने लगभग नौ मिनट तक फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटनों से दबाए रखा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी।

फ्लॉयड के परिवार के वकील बेन क्रम्प ने इसे किसी नागरिक अधिकार दावे के लिए मुकदमा पूर्व सबसे बड़ी समझौता राशि बताया। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए एक लंबा सफर तय किया जाना है। यह न्याय की दिशा में उठाया गया सिर्फ एक कदम भर है। फ्लॉयड परिवार के लिए काम करने वाले एक अन्य वकील एल क्रिस स्टीवर्ट ने कहा कि समझौते की यह राशि किसी अश्वेत व्यक्ति की मौत होने पर उसके नागरिक अधिकारों के आकलन करने में बदलाव लाएगी। फ्लॉयड की मौत के बाद मिनियापोलिस और पूरे अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे और देशभर में नस्ली भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई गई थी।

फ्लॉयड के परिवार ने जुलाई में शहर प्रशासन, चाउविन और तीन अन्य बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ संघीय नागरिक अधिकार के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, उनकी मृत्यु के लिए चाउविन और तीन अन्य अधिकारियों पर आरोप लगाया था।

सिटी काउंसिल प्रमुख लीजा बेंडर जब संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं, उस वक्त उनका गला भर आया।

अमेरिका ने म्यांमा के लोगों को अस्थायी वैध निवास की पेशकश की

वाशिंगटन, 13 मार्च (एपी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने म्यांमा के नागरिकों को अस्थायी रूप से वैध निवास देने की शुक्रवार को पेशकश की।

म्यांमा में सेना ने निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल करते हुए देश की बागडोर अपने हाथ में ले थी और तख्तापलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए सेना बल प्रयोग कर रही है। आंतरिक सुरक्षा मंत्री एलेजान्द्रो मयोरकाज ने कहा, इस अस्थायी संरक्षण की अवधि 18 माह की होगी। यह पेशकश केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो म्यांमा के नागरिक हैं और पहले से ही अमेरिका में रह रहे हैं। मयोरकाज ने एक बयान में कहा, तख्तापलट ने मानवीय हालात को और खराब कर दिया है, देश में सहायता और चिकित्सा सामग्री ले जाने वाले विमानों का परिचालन बाधित किया है और इससे देश में आर्थिक संकट आया है जिसकी वजह से म्यांमा के नागरिकों व लंबे समय से वहां रहने वालों का देश में सुरक्षित वापस लौटना मुश्किल हो गया है।

ई-कॉमर्स नीति का मसविदा

डाटा का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी सरकार

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

सरकार किसी उद्योग के विकास के लिए डाटा (संग्रहीत आंकड़ों) के इस्तेमाल के सिद्धांत तय करेगी। साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा डाटा के दुरुपयोग और पहुंच को रोकने के लिए पर्याप्य रक्षोपाय (सेफगार्ड) किए जाएंगे। राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति के मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है।

नीति में कहा गया है कि सरकार निजी और गैर-निजी डाटा पर नियमन तैयार करने की प्रक्रिया में है। अभी यह नीति विचार-विमर्श की प्रक्रिया में है। मसौदे में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए डाटा साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। साझा करने की व्यवस्था के लिए डाटा के नियमन तय किए जाएंगे।

इसमें कहा गया है कि सरकार किसी उद्योग के विकास मसलन ई-कॉमर्स, उपभोक्ता संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और कानून के प्रवर्तन के लिए डाटा के इस्तेमाल के सिद्धांत तय करेगी। इनमें कराधान भी शामिल हैं जहां ये सिद्धांत पहले मौजूद नहीं हैं। साथ ही डाटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएंगे। मसौदे में कहा गया है कि सरकार मानती है कि डाटा एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। भारत के आंकड़ों का इस्तेमाल पहले भारतीय इकाइयां करेंगी।

मसौदे में कहा गया है कि औद्योगिक विकास के लिए डाटा साझा करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। साझा करने की व्यवस्था के लिए डाटा के नियमन तय किए जाएंगे।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) के शीर्ष अधिकारी की अध्यक्षता में शनिवार हुई अंतर-मंत्रालयी बैठक में मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में कहा गया है कि ई-कॉमर्स परिचालकों को यह सुनिचित करना होगा कि उनके द्वारा इस्तेमाल 'एल्गोरिदम' पक्षपातपूर्ण नहीं हो।

इसमें कहा गया कि उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेश वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी सभी जानकारियां मिलनी चाहिए। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए कि संबंधित उत्पाद का मूल देश कौन सा है और भारत में इसमें क्या मूल्यवर्धन किया गया है।

साथ ही मसौदे में कहा गया है कि उचित प्रतिस्पर्धा के लिए ई-कॉमर्स कंपनियां अपने मंच पर पंजीकृत सभी विक्रेताओं/वेंडरों के साथ समानता वाला बर्ताव करें। इसके साथ ही मसौदे में कहा गया है कि इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मंच पर बिकने वाले उत्पाद जाली नहीं हो। साथ ही इसके लिए उन्हें रक्षोपाय करने होंगे। यदि ई-कॉमर्स कंपनी की मंच से जाली उत्पाद बेचा जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी ऑनलाइन कंपनी और विक्रेता की होगी।

आधुनिक ठेलागाड़ी का डिजाइन तैयार करने की प्रतियोगिता, विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

नई दिल्ली, 13 मार्च (भाषा)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उसने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिहाज से नई एवं कम लागत की आधुनिक ठेलागाड़ी को डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की।

मंत्रालय ने कहा कि चूंकि गली-मोहल्लों में सामान बेचने वाले विक्रेता, पारंपरिक बिक्री वाहनों का इस्तेमाल करते हैं इसलिए कोविड-19 बाद के दौर के लिए ऐसे वाहनों की जरूरत महसूस की जा रही है जिसमें सामानों की पैकेजिंग हो सके, बिक्री वाले सामान को प्रदर्शित करने की व्यवस्था हो, बिलिंग सुविधा हो, स्वच्छता हो, उसे आसानी से समेटा और छोटा बनाया जा सके, सरलता से कहीं ले जाया जा सके, डस्टबिन जैसे सामान, शेड, बिजली आपूर्ति और लाइटिंग व्यवस्था हो। इस प्रतियोगिता में अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा और मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआइडी) के विद्यार्थियों ने भाग लिया। बयान में कहा गया है कि प्रतियोगिता का उद्देश्य कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर नई और कम लागत वाली आधुनिक ठेलागाड़ी का स्वरूप तैयार करना है।

म्यांमा में सात प्रदर्शनकारियों की मौत

मांडले, 13 मार्च (एपी)।

म्यांमा ने सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग करते हुए सरकार ने गोलियां चलाईं जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई।

देश के दूसरे बड़े शहर मांडले में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। वहीं दक्षिण-मध्य म्यांमा के पयाय शहर में दो लोगों की और देश के सबसे बड़े शहर यंगून के उपनगरीय इलाके तवाने में एक व्यक्ति की मौत हुई है।

सभी सात लोगों की मौत से जुड़ी सूचनाएं विभिन्न सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट की गई हैं। इनमें से कई में मरने वालों की तस्वीरें भी शामिल हैं।

बल प्रयोग के कारण मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि पुलिस ने कुछ शवों को अपने कब्जे में ले लिया था और घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। साथ ही डॉक्टरों और नर्सों का कहना है कि घायलों का अस्थाई अस्पतालों में बेहतर इलाज करना संभव नहीं है।

घरेलू मार्गों पर 28 मार्च से 66 नई उड़ानें शुरू करेगी स्पाइसजेट

मुंबई, 13 मार्च (भाषा)।

किफायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने घरेलू नेटवर्क पर 28 मार्च से 66 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इनमें कुछ मार्गों पर अतिरिक्त उड़ानें भी शामिल हैं।

एयरलाइन ने शनिवार को कहा कि इन नई उड़ानों का परिचालन बोइंग 737 और क्षेत्रीय जेट बॉम्बार्डियर क्यू400 के जरिए किया जाएगा। कंपनी का इरादा अपने नेटवर्क के विस्तार के जरिए महानगरों और छोटे शहरों के बीच संपर्क बढ़ाना है।

स्पाइसजेट की मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) शिल्पा भाटिया ने कहा कि देश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय विमानन कंपनी के रूप में हम क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं।

स्पाइसजेट की मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी (सीसीओ) शिल्पा भाटिया ने कहा कि अपने घरेलू परिचालन का विस्तार कर हम खुश हैं। गर्मियों की समयसारिणी की शुरुआत के साथ हम 66 नई उड़ानें शुरू करेंगे। देश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय विमानन कंपनी के रूप में हम क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं। एयरलाइन ने बयान में कहा कि छोटे शहरों की यात्रा मांग को पूरा करने के लिए उसने दरभंगा, दुर्गापुर, झारसुगुड़ा, ग्वालियर और नासिक को कुछ महत्वपूर्ण महानगरों से जोड़ने के लिए नई उड़ानें शुरू की हैं। शुरुआत में इन शहरों को स्पाइसजेट ने उड़ान योजना से जोड़ा था।

स्पाइसजेट ने कहा कि वह अहमदाबाद-दरभंगा-अहमदाबाद, हैदराबाद-दरभंगा-हैदराबाद, पुणे-दरभंगा-पुणे और कोलकाता-दरभंगा-कोलकाता मार्ग पर नई उड़ानें शुरू करेगी। इससे पहले एयरलाइन ने दरभंगा को मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से जोड़ा था। इसी तरह दुर्गापुर को पुणे से जोड़ा जाएगा। दुर्गापुर को स्पाइसजेट पहले ही चेन्नई, मुंबई और दिल्ली से जोड़ चुकी है। झारसुगुड़ा को अब भी दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता के बाद चेन्नई से जोड़ा जाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में दिखने लगा है 'वी-आकार' का सुधार : ठाकुर

मुंबई, 13 मार्च (भाषा)।

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब 'वी-आकार' का सुधार दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। वी-आकार के सुधार से तात्पर्य तेज गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था के तेजी से पुनरुद्धार है।

ठाकुर ने भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में पहले ही वी-आकार का सुधार दिखने लगा है। विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है। फरवरी में देश में 25,787 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) आया है। लगातार दो तिमाहियों में भारी गिरावट के बाद अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 0.4 फीसद की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। साथ ही ठाकुर ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। जनवरी, 2021 में यह 590 अरब डॉलर के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया।

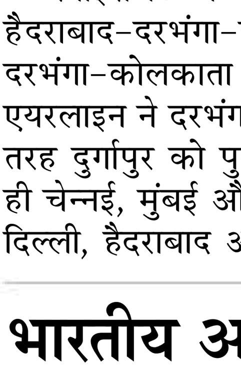

उन्होंने बताया कि पिछले आठ माह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 100 अरब डॉलर बढ़ा है।

वित्त राज्यमंत्री ने कहा कि यह भरोसे का संकेत है। वैश्विक कोष और निवेशक भारत को निवेश गंतव्य के रूप में देखते हैं। वे भारत की वृद्धि की कहानी को लेकर सकारात्मक हैं।

NOTICE BY WAY OF SUBSTTUTED SERVICE UNDER RULE 38 OF NCLT RULES,2016
READ WITH ORDER V RULE 20 OF CODE OF CIVIL PROCEDURE,1908
IN THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI, COURT II
AMERICAN EXPRESS BANKING CORPORATION V. FOURTH DIMENSION SOLUTIONS LIMITED
I.A. NO. 2158 OF 2020 IN C.P. (IB)-1232/ND/2019

TO,
1. MR. RAJENDER KUMAR (RESPONDENT NO. 3)
ARA MACHINE MOHALLA
SHAHWAZPUR, BUDUAN-243601
UTTAR PRADESH
2. MR. AJAY MITTAL (RESPONDENT NO. 4)
HOUSE NO. 34, SHEETLAGANJ,
BULANDSHAHR- 203001,
UTTAR PRADESH
3. MR. SANDEEP SINGHAL (RESPONDENT NO. 6)
SF-14, SHASTRI NAGAR, BLOCK- E & F
GHAZIABAD- 201001
UTTAR PRADESH
4. MR. PRADEEP SINGHAL (RESPONDENT NO. 7)
SF-14, SHASTRI NAGAR, BLOCK- E & F
GHAZIABAD- 201001
UTTAR PRADESH

WHEREAS Ms. Pooja Bahry, Resolution Professional of Fourth Dimension Solutions Limited has filed I.A. No. 2158/2020 under Section 43, 45 and 66 read with Section 25(2)(j) of IBC, 2016 and whereas, the Hon'ble NCLT, New Delhi, Court II issued notice on the concerned parties including you the above-named on 11.11.2020 and 01.03.2021. That vide order dated 11.11.2020 and 01.03.2021 the Hon'ble NCLT has permitted the undersigned to serve you the Addressee through substituted service.
TAKE NOTICE that the above-captioned matter will now be listed on 17.03.2021 before the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi Court II. You may either appear in person or through your Authorized Representative.
Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the Application will be heard and determined in your absence.

For Fourth Dimension Solutions Limited

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के लेनदार के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	27.08.1981
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L40106DL1981PLC012228
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय:** एफ -27 / 2, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस- II, नई दिल्ली -110020 **मुख्य कॉर्पोरेट कार्यालय (जहां खातों की पुस्तकें रखी जाती हैं):** 22, कैमक स्ट्रीट ब्लॉक-ए, तीसरी मंजिल कोलकाता - 700016 पश्चिम बंगाल
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	05.03.2021 (आदेश प्राप्ति की तिथि 12.03.2021)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	01.09.2021 (दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**राहुल जैन** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P2078/2020-2021/13219
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	27 / 33, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.9, पांडव रोड, विश्वास नगर, शाहदरा, नई दिल्ली - 110032 **ईमेल :** ca.rahuljain.2005@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	इमैक्युलेट समाधान प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड यूनिट नंबर 111-112, पहली मंजिल, टॉवर-ए, स्पेजएज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर -47, सोहना रोड, गुड़गांव - 122018 **ईमेल :** cirp.spmlinfra@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26.03.2021
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नही
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नही
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	(क) वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नही

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नई दिल्ली, पीठ-III ने **दिनांक 05 मार्च 2021** को **एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **26 मार्च 2021** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार (लागू नही) जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल्स में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि को प्रपत्र सीए में (लागू नही) निदर्शित करेगा।

दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने का कार्य भारतीय दिवाला एवं शोधन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के अध्याय IV के अनुसार किया जाना चाहिए। दावों का प्रमाण उनके दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण के साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है।

फॉर्म की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप भारतीय दिवाला एवं शोधन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के तहत निर्धारित वेबसाइट www.ibbi.gov.in से उपरोक्त प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी। सभी दावेदारों को सलाह दी जाती है कि वे दावे प्रपत्रों में अपने पैन, ईमेल आईडी और फोन नंबर का निरपवाद रूप से उल्लेख करें।

राहुल जैन
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 13.03.2021
स्थान : नई दिल्ली
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P2078/2020-2021/13219

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
सारे गुरुग्राम प्राईवेट लिमिटेड-सीआईआरपी में 12 मार्च, 2021 को प्रकाशित सार्वजनिक उद्घोषणा का संवर्धन

यह 12 मार्च, 2021 को प्रकाशित **सारे गुरुग्राम प्राईवेट लिमिटेड- सीआईआरपी में** (''एसजीपीएल'') के मामले में दावे आमंत्रित करने के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा के संदर्भ में है। उक्त प्रकाशन में अधोलिखित उपबंध पढ़ा जाये।

2	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगम की तिथि	28 अगस्त, 2006

हस्ता./-
अजीत ज्ञानचंद जैन
अंतरिम प्रस्ताव कर्मी सारे गुरुग्राम प्राईवेट लिमिटेड
आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00368/2017-18/10625
आईबीबीआई में पंजीकृत ईमेल आईडी: ajit@vcanca.com
एसजीपीएल से संबंधित ईमेल आईडी: cirp.sare@gmail.com
पंजी. पता: 204, वाल स्ट्रीट-1, गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण चंडीगढ़ पीठ के समक्ष, चंडीगढ़
कंपनी याचिका सीपी (सीएए) नंबर 28/सीएचडी/एचआरवाई 2020
कंपनी आवेदन सीए (सीएए) नंबर 20 / सीएचडी / एचआरवाई 2020 से सम्बंधित
कंपनी अधिनियम, 2013 कोई भी सांविधिक संशोधनों सहित या कुछ समय के लिए पुनः- अधिनियमनों को लागू करने, के मामलों में :

और

कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियमों, 2016 के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके लागू होने के कुछ समय के लिए पुनः अधिनियमन शामिल हैं, **के मामले में :**

और

व्यवस्था की योजना के मामले में:

ग्रांड मैटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड (सिन: U00331HR2005PTC086017) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा-121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 ...... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 1 / आवेदक कंपनी नंबर 1**

और

सुवृद्धी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (सिन: U67120HR1992PLC087012) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा - 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 ...... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 2 / आवेदक कंपनी नंबर 2**

और

संजीवनी नॉनफैरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (सिन: U70109HR2006PTC086175) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा- 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 ...... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 3 / आवेदक कंपनी नंबर 3**

और

रामयणा पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड (सिन: U25517HR2006PTC085676) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा- 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 ...... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 4 / आवेदक कंपनी नंबर 4**

और

फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड (सिन: U2229HR2006PTC085674) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा- 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 ...... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 5 / आवेदक कंपनी नंबर 5**

और

सैंचुरी मैटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड (सिन: U74899HR1994PLC086105) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B, फरीदाबाद हरियाणा - 121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 .... **हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 6 / आवेदक कंपनी नंबर 6**

साथ

ग्रांड मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिन: U00337HR2005PLC085675) जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 802, 803 एसएसआर कॉर्पोरेट पार्क सैक्टर 27B फरीदाबाद हरियाणा-121003 में है ईमेल: secretarial@century.in फोन: 91-129-4223050 ...... **हस्तांतरिति कंपनी / आवेदक कंपनी नंबर 7**

कंपनी याचिका की सुनवाई की सूचना

सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 के साथ पढ़ित एवं अन्य लागू प्रावधानों के तहत, समूह कंपनियों ग्रांड मैटल रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुविधि फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, संजीवनी नॉनफेरस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, रामायणा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड, फॉरएवर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेंचुरी मैटल रीसाइक्लिंग लिमिटेड का ग्रांड मैटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, 11 दिसंबर 2020 को संयुक्त याचिका पेश की गई थी जो 27 जनवरी 2021 को स्वीकार की गई थी तथा उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष **बुधवार, 31 मार्च, 2021 को सुबह 10.30 बजे** सुनवाई के लिए निर्धारित है।

यदि किसी व्यक्ति को कथित संयुक्त याचिका पर समर्थन या आपत्ति है तो वह अपने आशय, अपने नाम एवं पते के साथ स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर करके याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ता के पास सुनवाई की तिथि से दो (2) कार्य दिवस पूर्व तक भेज सकता है। यदि वह याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोध की पृष्ठभूमि या उसके हलफनामे की एक प्रति नीचे उल्लिखित पते पर अधोहस्ताक्षरी को अपने नोटिस के साथ या उपरोक्त संबंधित याचिकाकर्ता कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय पतों पर जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किये गए है, को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता / -
पंकज जैन
याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता
वेदा लीगल, अधिवक्ता और सॉलिसिटर
208-ए / 3, भूतल, सिंडिकेट बैंक के सामने, आंदोलन पार्क, पंचशील पार्क मेट्रो स्टेशन के नजदीक, नई दिल्ली -110017
ईमेल आईडी - vedalegal@outlook.com | **मोबाइल** - 8447778422
तिथि : 14 मार्च 2021
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
एब्लूम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	एब्लूम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	03.05.1994
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U74899DL1994PTC058760
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	ख.नं. 300, गोपी राम बिल्डिंग, सुल्तानपुर ग्राम, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110030, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	11.03.2021 (आईआरपी द्वारा आदेश प्राप्ति की तिथि 12.03.2021 है)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	07.09.2021
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	परवीण बंसल पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-2018/10344
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	जे-347, ब्लॉक जे, सरिता विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110076 ईमेलः pkbansal00@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	ई-44/3, पॉकेट डी, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 ई-मेलः abloom.infotech@pbinsolvency.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	26.03.2021
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेबलिंकः https://www.ibbi.gov.in/ home/downloads भौतिक पताः लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 11 मार्च, 2021 को एब्लूम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा एब्लूम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 26.03.2021 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

परवीण बंसल
अंतरिम प्रस्ताव कर्मी
IBBI/IPA-001/IP-P00175/2017-2018/10344
तिथिः 13.03.2021
स्थानः नई दिल्ली

प्रपत्र- 'जी'
अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन
प्रासंगिक विवरण

1.	**कार्पोरेट देनदार का नाम**	**एरिना सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड**
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	15.06.2012
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज-एनसीटी ऑफ दिल्ली और हरियाणा
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U70100DL2012PTC237604
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	फ्लैट न. 14, ग्राउंड फ्लोर, पुल पहलाद पुर, डीडीए एमआईजी सूरज अपार्टमेंट, नई दिल्ली-110044
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	29.10.2020 (आदेश वेबसाइट पर 02.11.2020 को अपलोड किया गया)
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	14.03.2021
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्यता:	पात्रता मानदंड का उल्लेख विस्तृत 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण' में किया गया है और अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को ईमेल **cirp.arena@avmresolution.com** पर भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्यता के मानदंड :	आईबीबीआई की वेबसाइट **(https://ibbi.gov.in/legal-framework)** पर उपलब्ध है और विस्तृत 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण' में भी दिया गया है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	31.03.2021
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	10.04.2021
12.	अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	15.04.2021
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	25.04.2021
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	15.04.2021
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की विधि	ईमेल **cirp.arena@avmresolution.com** के माध्यम से अंतरिम समाधान प्रोफेशनल से मांग करके। पात्र संभावित समाधान आवेदकों के साथ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में या आभासी डेटा रूम के लिंक के रूप में साझा की जायेगी।
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	17.05.2021
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने की विधि	डाक द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में / व्यक्तिगत ढंग से, हार्ड कॉपी के साथ-साथ डिजिटल कॉपी, एक पेन-ड्राइव में संपादन योग्य और गैर-संपादन योग्य दोनों प्रारूपों में, अंतरिम समाधान प्रोफेशनल को भेजें।
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि	22.06.2021
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	**पवन कुमार सिंगल** **पंजी.सं. :** IBBI/IPA-001/IP-P-01172/2018-2019/12229
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है	**पवन कुमार सिंगल** **पता:** एमपी-114, पीतम पुरा, नई दिल्ली -110034 **ईमेल :** pawansingal50@gmail.com
21.	पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है	**पवन कुमार सिंगल** **सी / ओ एवीएम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल एलएलपी** **पता:** 8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए., अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली -110005 **ईमेल :** cirp.arena@avmresolution.com
22.	अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है	अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ईमेल: cirp.arena@avmresolution.com से ईमेल द्वारा मांगा जा सकता है
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि	**14.03.2021**

हस्ता / - (पवन कुमार सिंगल)
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल, एरिना सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P-01172/2018-2019/12229
पंजीकृत पता: एमपी-114, पीतम पुरा, नई दिल्ली -110034
तिथि : 14 मार्च 2021
स्थान : नई दिल्ली

www.readwhere.com